



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569 ]  
No. 569]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2000/कार्तिक 19, 1922  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2000/KARTIKA 19, 1922

भारतीय रिजर्व बैंक

( विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग )

अधिसूचना

मुंबई, 26 सितम्बर, 2000

सं. फेमा 29/आरबी 2000

गारंटी मांगने पर भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को भुगतान

सा. का. नि. 860 ( अ ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 ( 1999 का 42 ) की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसरण में और 3 मई, 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 16/आरबी 2000 ( इसके पश्चात् " उक्त अधिसूचना " के रूप में उल्लिखित ) के आंशिक संशोधन में रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिसूचना में तत्काल संशोधन किये जायें, यथा :—

उक्त अधिसूचना के पैरा ( 2 ) के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाये, यथा :—

“( 2ए ) मुख्य ऋणी के रूप में भारत में निवासी कोई व्यक्ति गारंटीकर्ता के रूप में भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को भुगतान करता है, इस प्रकार के भुगतान मुख्य ऋणी की ओर से उनके द्वारा दी गई गारंटी के अंतर्गत अनिवासी गारंटीकर्ता द्वारा निवासी ऋणदाता को किये गये भुगतान प्रतिपूर्ति के मार्ग से किया गया है :

बशर्ते कि निवासी मुख्य ऋणी द्वारा प्रतिपूर्ति के मार्ग द्वारा देय राशि गारंटी के अंतर्गत अनिवासी गारंटीकर्ता द्वारा अदा की गई राशि की रुपया समकक्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

बशर्ते इसके अतिरिक्त जहाँ गारंटीकर्ता द्वारा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ बनाये रखे अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय/अनिवासी सामान्य/अनिवासी विशेष रुपया खाते में धरित निधियों में से राशि का भुगतान किया गया है, वहाँ राशि प्रतिपूर्ति द्वारा अदा की गई हो तो उसका प्रेषण भारत से बाहर नहीं किया जायेगा अथवा अनिवासी के अनिवासी विदेशी/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते में जमा नहीं किया जायेगा।”।

[ फ. सं. 1/23/ई सी/2000 ]

डी. पी. सारडा, कार्यपालक निदेशक

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**(Exchange Control Department)**  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th September, 2000

**NO. FEMA/29/RB-2000**

**Payment to a person resident outside India on invocation of guarantee**

**G.S.R. 860 (E).**—In pursuance of the provisions of Section 3 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA/16/RB-2000 dated 3rd May, 2000, (hereinafter referred to as 'the said Notification'), the Reserve Bank hereby directs that the said Notification shall with immediate effect be amended as under, namely :—

After paragraph (2) of the said Notification, the following paragraph shall be added, namely :—

“(2A) a person resident in India being the principal debtor, to make payment to a person resident outside India being a guarantor, such payment being by way of reimbursement of the payment made to the resident creditor by the non-resident guarantor under the guarantee furnished by him on behalf of the principal debtor :

Provided that the amount payable by way of reimbursement by the resident principal debtor shall not exceed the rupee equivalent of the amount paid by the non-resident guarantor under the guarantee :

Provided further that where the payment of the amount is made by the guarantor out of funds held in NRNR/ NRO/NRSR account/s maintained with an authorised dealer in India, the amount paid by way of reimbursement shall not be remitted outside India or credited to NRE/FCNR account of the non-resident.”

[F. No. 1/23/EC/2000]

D. P. SARDA, Executive Director